राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सोनी बनाम बाबूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
23/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि ग्राम बास बिलवा का निवासी है तथा कृषि कार्य करता है। स्व० कालुराम मीणा का दत्तक पुत्र है। वादी के पिता स्व. कालुराम पुत्र स्व. श्री भोरिया अपने जीवनकाल ने अपने पिता भोरिया की आराजीयात जिसके खसरा नंबर 764, 769, 770, 776, 777, 787, 788, 795, 796/1215, 797, 800, 806, 825, 848, 857, 858, 864, 865, 867, 870, 876, 1042, 1045, 1051, 1052, 1054, 1055, 1057, 1065, 1066, 1067, 1077, 1074, 1081, 1086, 1087, 1099, 1100 कुल किता 40 कुल क्षेत्रफल 3.29 हैक्टयर एवं खसरा नंबर 854, क्षेत्रफल 0.03 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1039 रकबा 0.02 हैक्टयर स्थित ग्राम बास बिलवा तहसील सांगानेर की आराजीयात में से अपना हिस्सा 1/5 का 1/2 हिस्सा बनता था, जिसको कि कालुराम मीणा के फौत होने पर उसकी प्रथम पत्नि मुस्मात सोनी बेवा कालुराम के नाम से फौती नामांतरण खुलवाकर अपने नाम दर्ज करवा लिया। इसके अलावा ग्राम बिलवा में आराजीयात खसरा नम्बर 102, 103, 111, 130 कुल किता 4 कुल रकबा 0.51 हैक्टयर, खसरा नंबर 94/2083, 95, 96, 132, 136/2085, 137/2084, 210, 211 कुल किता 8 कुल रकबा 3.08 हैक्टयर तथा खसरा नंबर 1575, 1577, 1579/2067, 1580, 1581, 1582, 1583, 1583/2068, 1584/1586, 1590 से 1598 तक खसरा नंबर 1665 से 1669 कुल किया 19 कुल क्षेत्रफल 3.92 हैक्टयर स्थित ग्राम बिलवा कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में भौरिया के देहवसान के पश्चात उनके उत्तराधिकारी स्वर्गीय कालुराम के नाम अर्कित हुआ है व अपना हिस्सा दर्ज हुआ। जिसके अनुसार स्व. कालुराम अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात में अपने खातेदारी के एक मात्र मालिक स्वामी एवं अधिकारी रहे. तथा अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात पर अपने हिस्से पर कब्जा काश्त रहे। वादी के पिता स्व. कालुराम ने वादी को मय रस्मो रिवाज के गोद ले लिया था जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 की सहमति थी। इस आधार पर वादी स्व. कालूराम मीणा का एक मात्र दत्तक पुत्र होने के कारण वारिस व उत्तराधिकारी हुआ। स्व. राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सोनी बनाम बाबूलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
366/2021		

कालुराम का देहवसान दिनांक 26.12.1999 का हो चुका है। व उनके स्वर्गवास के पश्चात वादी कालुराम का दत्तक पुत्र होने के कारण एक मात्र वारिस व उत्तराधिकार हुआ तथा त आराजीयात जो कि स्व. कालुराम के हिससे में बनती थी, उक्त वादग्रस्त राजीयात का वादी एक मात्र अधिकारी हुआ व कालुराम के स्वर्गवास के पश्चात उनके हिस्से पर काबिज कास्त चला आ रहा है। कालुराम मीणा के स्वर्गवास के पश्चात वादी के दत्त पुत्र होने पर मियाद उत्पन्न हुआ जिसपर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर के यहा विवाद चला जिसका निर्णय दिनांक 08.04. 2004 को हो चुका है जिसमें श्रीमान् न्यायालय ने वादी को दत्तक पुत्र मानते हुए उनकी चल सम्पत्ति में 1/3 हिस्से का बराबर-बराबर हिस्सेदार माना है अर्थात वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बराबर-बराबर हिस्सेदार माना है अर्थात कानूनी तवादी को स्व. कालुराम का दत्तक पुत्र मानकर श्रीमान् न्यायालय के आदेश प्रदान किये है। कालुराम के स्वर्गवास के पश्चात नियमानुसार वादग्रस्त आराजियात कृषि भूमि में जो हिस्सा स्व० कालूराम का बनता था उस पर केवल वादी का अधिकार चूंकि मीणा जाति के लिए यह सेटल्ड कानून है कि मीणा जाति में निकटतम पुरूष वारिस होने पर कृषि भूमि का नामांतरकरण निकटतम पुरूष के नाम ही खोला जा सकता है अन्य के नाम नही खोला जा सकता है बावजुद इसके भी प्रतिवादी संख्या 2 ने मिलीभगत करके ग्राम बास बिलवा तहसील सांगानेर की आराजीयात में स्व. कालुराम के स्वर्गवास के पश्चात फौती नामांतरकरण खुलवा लिया है जो कि गलत है वास्तव में वादी के नाम ही दर्ज होनी चाहिए थी। क्योंकि वादी निकटतम पुरूष व उत्तराधिकारी होने के कारण विधिक वारिस है जिसको कि श्रीमान् न्यायालय ने भी माना है। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वादी का वाद वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जावे कि कृषि भूमि जिसके खसरा नंबर नंबर 764, 769, 770, 776. 777, 787, 788, 795, 796/1215, 797, 800, 806, 825, 848, 857, 858, 864, 865, 867, 870, 876, 1042, 1045, 1051, 1052, 1054, 1055, 1057, 1065, 1066, 1067, 1077, 1074, 1081, 1086, 1087, 1099, 1100 कुल किता 40 कुल क्षेत्रफल 3.29 हैक्टयर एवं खसरा नंबर 854, क्षेत्रफल 0.03 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1039 रकबा 0.02 हैक्टयर स्थित ग्राम बास बिलवा तहसील सांगानेर की आराजीयात में से अपना हिस्सा 1/5 का 1/2 हिस्सा बनता था, जिसको की कालुराम मीणा के फोत होने पर उसकी प्रथम पत्नी मुस्समात सोनी बेवा कालूराम के नाम से फौती नामान्तकरण खुलवाकर अपने नाम दर्ज करवा लिया जो दुरूस्त किया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सोनी बनाम बाबूलाल 366/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिवादी संख्या 2 का नाम समाप्त किया जाकर वादी के नाम से उक्त आराजीयात में जो हिस्सा कालूराम मीणा का बनता था, को वादी के नाम से दुरूस्त कर दिलाये जाने की घोषणा फरमावे। व वादपत्र में वर्णित आराजीयात खसरा नंबर 102, 103, 111, 130 कुल किता 4 कुल रकबा 0.51 हैक्टयर, खसरा नंबर 94/2083, 95, 96, 132, 136/2085, 137/2084, 210. 211 कुल किता 8 कुल रकबा 3.08 हैक्टयर, तथा खसरा नंबर 1575, 1577, 1/2067, 1580, 1581, 1582, 1583, 1583/2068, 1584/1586, 1590 से 1598 खसरा नंबर 1665 से 1669 कुल किता 28 कुल क्षेत्रफल 3.92 हैक्टयर स्थित ग्राम बिलवा कलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर में भोरिया के देहवसान के पश्चात उनके उत्तराधिकारी स्वर्गीय कालुराम के नाम अंकित हुआ है व अपना हिस्सा दर्ज हुआ। जिसके अनुसार स्व. कालुराम अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात में अपने खातेदारी के एक मात्र मालिक स्वामी एवं अधिकारी रहे, तथा अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात पर अपने हिस्से पर कब्जा काश्त रहे कालुराम के स्वर्गवास के पश्चात वादी विधिक वारिस होने के कारण उक्त आराजीयात वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड काल में अंकित फरमाई जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा आदेश से पाबंद फरसायो जावे कि वे वादी को उनके कब्जे काश्त की भूमि से निष्कासित ना करे, भूमि का कोई अंश विक्रय ना करें, हस्तान्तरित ना करे, भूमि वादी के काश्त में बनी रहने दे, काश्त करने दे, भूमि की स्थिति को यथावत बनाये रखे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित आये एवं पैरोकार सरकार उपस्थित आये तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब वाद प्रस्तुत किया गया | जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम कर निर्णय व डिक्री दिनांक 10/12/2019 पारित करते हुये वादीगण/रेस्पो. का वाद डिक्री फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती के वाद में सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये वादी के वाद को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सोनी बनाम बाबूलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
366/2021		

डिक्री किया गया है जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसरण में घोषणा/इन्द्राज दुरुस्ती के वाद को तनकीवार साक्ष्य-सबूतों का विस्तृत विवेचन करते हुये निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरित सिद्ध होने से निरस्तनीय प्रतीत होती है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 10/12/2019 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तनकीवार साक्ष्य-सबूतों का विस्तृत परिक्षण, विवेचन करते हुये बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर